भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 318

मंगलवार, 20 जुलाई, 2021/29 आषाढ़, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

आंध्र प्रदेश में बौद्ध गलियारा

318. श्री परिमल नथवानी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में बौद्ध गलियारे को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) इस संबंध में प्रदत्त निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में इस संबंध में और उपाय करने का आशय रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय ने महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्यों तक सड़क संपर्क में सुधार के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर और प्रतिष्ठित स्थलों सहित 50 पर्यटन गंतव्यों की सूची और बाद में राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त इनपुट के आधार पर 114 गंतव्यों की एक और सूची सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ साझा की थी। जहां अच्छी सड़क संपर्कता पहले से मौजूद है, वहां सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि वह पर्यटन गंतव्यों के दोनों ओर 15-20 किलोमीटर की दूरी तक, मार्गस्थ सुविधाएं, प्रमुख संकेत और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर विचार करें। आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले गंतव्य निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	**पर्यटन गंतव्य**
1.	लिपाक्षी
2.	विज़ाग
3.	लम्बासिंगी, चिंतापल्ली (मंडल)
4.	अराकू घाटी में बोरा गुफाएं, अनंतगिरी (मंडल)
5.	बेलुम की गुफाएं

इसी प्रकार, पर्यटक स्थलों तक हवाई सम्पर्कता में सुधार की दृष्टि से पर्यटन मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई आरसीएस-उड़ान योजना में पर्यटन गंतव्यों को शामिल करने का

प्रस्ताव दिया था। पर्यटन मंत्रालय की सिफारिश पर 46 पर्यटन मार्गों को आरसीएस- उड़ान 3 में शामिल किया गया है जिनमे से आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले 2 मार्ग निम्न हैं:

क्र. सं.	मार्ग
1.	राजमुन्दरी से विशाखापट्नम
2.	विशाखापट्नम से राजमुन्दरी

उपरोक्त दोनों मार्गों पर परिचालन पहले ही शुरू कर दिया गया है।

चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए कुल 225 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 50.00 करोड़ रुपये प्रदान किए गये है, जिसमें से व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) के रूप में पहले ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को 43.70 करोड़ रु. प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

*****